

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कसगार

अनुसूची 14 - फारम सं 562

आदेश - पत्रक

(देखे अनिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक / ता 0..... से तक

जिला- बोकारो, वाद सं 0011/21-22 सन् 20.....

केस का प्रकार नीलाम पत्र वाद बैंक बकाया प्रकृति

आदेश
की
क्रम
सं 0 एवं
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
की
कार
के द
टिप्प
तारीख
सा
3

03.09.21

प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया, कसगार
वादा, जिला- बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा देनदार कुलश मधु,
पित्रा- जानकी मधु, ग्राम- भाषागीह, पो. टांजरीना, थाना-
कसगार

जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 42,869 - 00
बैंगलौर एग्रा आइसो अनडर रजिस्ट्रेशन की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल
किया गया है। साथ ही "कोर्ट की" रूपये 3,528 - 00 तीन एग्रा पायसो अशुभ
कुल 46,397 - 00 डिपॉजिट एगारो नो रूपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है।
अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है।

अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 4 वर्ष 1914 की
धारा 7 के तहत नोटिस निर्गत करें।

नोटिस तामिला हेतु अधियाची पदाधिकारी को भेजें।

अनिलेख दिनांक..... को उपस्थापित करें।

AC
3.9.21
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
-सह-
अंचल अधिकारी
कसगार।